आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

29/5/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-21/2022-23

(1) कृष्णा उराँव,
(2) रवि कच्छप,
(3) रोहित कच्छप ..... आवेदकगण।

बनाम्

अनिल जयसवाल ..... विपक्षी।

आदेश

आवेदकगण (1) कृष्णा उराँव, पिता–स्व० लाखो उराँव, वो (2) रवि कच्छप वो (3) रोहित कच्छप, दोनों के पिता–कृष्णा उराँव, सभी निवासी ग्राम–मधुकम, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षी अनिल जयसवाल, पिता–राजेन्द्र प्रसाद जयसवाल, निवास स्थान ग्राम–मधुकम, महुआ टोली, शांति नगर, थाना–सुखदेव नगर, जिला–राँची, द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
मधुकम	204	17	206	03.30 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन शपथ पत्र एवं बहस में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के खतियानी जमीन है एवं आर०एस० खतियान में विशु उराँव वगैरह के नाम से दर्ज है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। विशु उराँव की मृत्यु हो गई है। विशु उराँव अपने पीछे एक बेटा मांगु उराँव को छोड़ गये एवं मांगु उराँव ने लाखो उराँव को अपने पीछे छोड़ गये। लाखो उराँव अपने पीछे कृष्णा उराँव को छोड़ गये।

29/5/24

कृ०पृ०उल्टे

दिनांक–15.04.2024 को सूचित किया गया है कि दिनांक–05.12.2023 को आवेदक कृष्णा उराँव की मृत्यु हो गई है। वे अपने पीछे दो पुत्र (1) रवि कच्छप एवं (2) रोहित कच्छप को छोड़ गये।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस किया गया एवं लिखित बहस भी दाखिल किया गया। लिखित बहस में कहते हैं कि उपरोक्त जमीन आर॰एस॰ खतियानी मोसमात जोनी वो विशु उराँव वो मांगु उराँव वो सोमरा उराँव वो बिरसा उराँव के नाम से कायमी दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है अतः यह वाद भूमि वापसी हेतु किया गया है, चुँकि कृष्णा उराँव (आवेदक) की मृत्यु हो गई है अतः आवेदक के दो पुत्र (1) रवि कच्छप एवं (2) रोहित कच्छप को बाद में उत्तराधिकारी बनाया गया है। विपक्षी अनिल जयसवाल के द्वारा नाजायज तथा गैर कानूनी तरीके से करीब चार–पाँच वर्षों से जमीन पर कब्जा कर उस जमीन पर कच्चा मकान बना लिए हैं, शेष जमीन खाली हैं। चुँकि यह जमीन आदिवासी खाते की है। अतः यह कब्जा असंवैधानिक हैं जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लघंन है तथा 71 "A" के अंतर्गत आवेदकगण को वापस करने योग्य है।

आवेदक द्वारा दाखिल जमीन से संबंधित मूल खतियान जो प्रदर्श 01, वंशावली प्रदर्श 02, अंचल रसीद सं०–5250546 प्रदर्श 03 तथा रसीद सं०–2190577 प्रदर्श 04 के रूप में दर्ज है। आवेदक की ओर से 03 गवाह प्रस्तुत किये गये, जिसमें आवेदक के गवाह संख्या–03 स्वयं रवि कच्छप ने कहा कि यह हमारी खतियानी जमीन है जिसे विपक्षी ने जबरन कब्जा कर लिया।

विपक्षी द्वारा अपने कारणपृच्छा में कहा गया है कि उपरोक्त जमीन 1946 से मेरे कब्जे में है, इसे खतियानी वंशज के लोगों के द्वारा मुझे दिया गया है और इस पर मैं वर्षों से घर बनाकर रह रहा हूँ जो कि छप्परबंदी है। अतः मैनें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" का कोई उल्लघंन नहीं किया है।

विपक्षी ~~किये~~ गवाह संख्या–1 महेश प्रसाद तथा गवाह संख्या–3 अनिल जयसवाल स्वीकार करते है कि विवादित भूमि का खतियान कृष्णा उराँव के नाम से दर्ज हैं एवं जमीन आदिवासी खाते की है तथा जमीन का स्थानांतरण वैधानिक तरीके से नहीं हुआ।

M:- 29/5/24

कृ०पृ०उल्टे

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जमीन आवेदक की खतियानी जमीन हैं तथा विपक्षी आवेदकगण के जमीन को जबरन कब्जा कर मकान बना लिए हैं विपक्षी द्वारा अपने दावे के पक्ष में जमीन से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से विपक्षी को बेदखल करते हुए जमीन आवेदकगण को वापस किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, हेहल, राँची को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदकगण तथा खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

29/5/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

29/5/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः–138 (i) दिनांकः–29/5/24

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी हेहल, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध बंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

29/5/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 14:02:00 +05:30
Location: 192.168.51.130